अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No- 92 / 2004-05

सीताराम साह

बनाम

मोसमात लखपतिया

-: आदेश :-

26/07/2023

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपील अपीलकर्त्ता द्वारा विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–51/2000–01 मो0 लखपति वगै0 बनाम् जीतेन्द्र साह वगै0 में दिनांक–02.08.2004 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया था। जिसे सुनवाई के पश्चात् उपायुक्त महोदय द्वारा अपीलवाद स्वीकृत करते हुए विषयगत वाद अधोहंस्ताक्षरी के न्यायालय में विचारण हेतु दिनांक–30.05.2006 को हस्तांतरण किया है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता एवं अन्य व्यक्ति जो विपरीत पक्ष के सदस्य थे कभी न्यायालय में उपस्थित नही हुए और न तो कारण पृच्छा दाखिल किया अतएव विपरीत पक्ष को उपरोक्त भूमि से उच्छेद करते हुए भू–व्यक्तियों को जमीन वापस करने का निर्णय दिया गया।

वर्त्तमान वाद में उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए। उत्तरवादी ने अपीलकर्त्ता के विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की घारा–20 एवं 42 के तहत् मौजा–आशाखापर, जमाबंदी नं0–10 के अन्तर्गत दाग नं0–03 रकवा क्रमशः 03 कट्टा 18.5 धूर एवं 03 कट्टा, 02 कट्टा एवं 06 कट्टा कथित रूप से पैतृक भूमि बताते हुए अपीलकर्त्ता एवं अन्य के द्वारा नाजायज ढ़ंग से हड़प लिये जाने का आरोपी लगाते हुए विषयगत केस मे निम्न न्यायालय मे पारित आदेश को सही बताते हुए उसे बरकरार रखने तथा वर्त्तमान अपीलवाद अस्वीकृत करने की प्रार्थना करते है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हुए उल्लेख करते है कि प्रस्तुत वाद में कई विपरीत पक्ष के सदस्य थे किन्तु उनमें से एक अपीलकर्त्ता का कथन है कि जितने व्यक्तियों पर मुकदमा दायर गया उनका रकवा दिखाते हुए किसी व्यक्ति का आवासीय मकान नहीं है। उत्तरवादी (आवेदिका) अपने हिस्से की जमीन वर्षो पूर्व रामेश्वर ठाकुर जनातीय महाविद्यालय, भतखोरिया को दान कर दी है और उसके एवज में राशि भी ले ली है। सिर्फ उत्तरवादी को छोड़कर अन्य फरीकेन या उत्तरवादी इस मुकदमा में कोई आपत्ति दायर नही की है।

उत्तरवादी ने उक्त भूमि के लिए कोई कानूनी दस्तावेज दाखिल नही किया है जिसके आधार पर यह माना जाय कि वस्तुतः प्रश्नगत भूमि उसी की है। पर्चा देखने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि जमाबंदी नं0–10, मौजा–आशाखापर, जंगली भगत वो राम सुन्दर भगत वो मुखी भगत वो मुंगा भगत के नाम से दर्ज है। उक्त पर्चा में कई एक मूल जमाबंदी रैयत है जिसका टाईटल भगत है और विपक्षी का

टाईटल साह है विपक्षी किस जमाबंदी रैयत के वारिसान है इस संदर्भ मे वारिसान के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नही है। प्रस्तुत वाद में उत्तरवादी के द्वारा दायर वाद बिल्कुल मनगढ़न्त एवं बेबुनियाद है। अपीलकर्त्ता का आगे कथन है कि इसी जमाबंदी नं0 10 की जमीन के अन्तर्गत दाग नं0–03 पर मात्र 06 कट्ठा जमीन पर इनका आवासीय मकान, दरवाज, कुआँ, चहरदिवाली आदि वर्षो पूर्व का बना हुआ है। अपीलकर्त्ता की इस भूमि पर बने मकान के लिए वर्षो पूर्व अंचल अधिकारी, मेहरमा ने वासगीत पर्चा इन्हें दिया है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता वर्ष 1934 ई0 पहले कुर्फानामना के आधार पर तथा बाद में वासगीत पर्चा के आधार पर सरकार को अद्यतन खजाना देते हुए लगातार दखलकार चले आ रहे है। जमीन की प्रकृति भी बदल कर आवासीय हो गयी है तथा निरंतर दखलकार रहने के चलते एडभर्स पोजीशन प्राप्त हो गया है। पटना हाई कोर्ट एवं रांची हाई कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में इस बात का खुलासा किया गया है निरंतर कई वर्षो से अगर कोई व्यक्ति जमीन पर आवासीय मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहा है तो उसे उच्छेद नही किया जा सकता है। विज्ञ अधिवक्ता आगे उल्लेख करते है कि वी0वी0सी0जे0 1985 में नवगोपाल दास बनाम् बिहार सरकार जो गोड्डा जिले की जमीन से ही संबंधित है मे यह निर्णय दिया गया कि जमीन के बदले मुआवजा भूधारी के वंशजों को दिया जा सकता है न कि उन्हें गृह विहीन करते हुए जमीन वापस की जा सकती है। वर्षों पूर्व का यह पुराना विवाद है और आज की तिथि तक अपीलकर्त्ता विषयगत भूमि पर दखलकार है इस जमीन में लिए उन्हें वोटर कार्ड, राशन कार्ड, वासगीत पर्चा, मालगुजारी रसीद अन्य अनेकों बहुमूल्य कागजात है जो उनके वैध दखल को प्रदर्शित करता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सूना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का गहराई से अध्ययन के उपरांत पाता हुँ कि उत्तरवादी ने उक्त भूमि के लिए कोई वैध दस्तावेज दाखिल नही किया है जिसके आधार पर यह माना जाय कि वस्तुतः प्रश्नगत भूमि उसी की है। पर्चा देखने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि जमाबंदी नं0–10, मौजा–आशाखापर, जंगली भगत वो राम सुन्दर भगत वो मुखी भगत वो मुंगा भगत के नाम से दर्ज है। उक्त पर्चा में अनेक जमाबंदी रैयत है जिसका टाईटल भगत है और विपक्षी का टाईटल साह है विपक्षी किस जमाबंदी रैयत के वारिसान है इस संदर्भ मे कोई स्पष्ट उल्लेख नही है। निम्न न्यायालय में सत्यता की जाँच हेतु संबंधित अचंल अधिकारी ने विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण का जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त नही किया गया है। वहीं अपीलकर्त्ता का वादग्रस्त भूमि पर बहुत पुराना सहन आवास निर्मित है जिस पर सपरिवार वसोवास कर रहे है। जिसके लिए अंचल से वासगीत पर्चा भी निर्गत है और सरकार को लगातार खजाना देते हुए विषयगत भूमि पर दखलकार है। जमीन की प्रकृति भी बदल कर आवासीय हो गयी है तथा निरंतर दखलकार रहने के चलते एडभर्स पोजीशन प्राप्त

हो गया है। विदित हो कि जमाबंदी रैयत की सहति के बिना कोई गैर रैयत दूसरे की जमीन पर छोटा सा भी निर्माण कार्य नही कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में जमाबंदी रैयत के सदस्यों का समर्थन रहा होगा। इस संदर्भ मे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1970/1975 में स्पष्ट उल्लेख है कि– "Eviction from the is not contemplated under the provision of section 42. I therefor hold that even if the provisions of the homestead tenancy act does not apply to the Santhal pargana in my opinion section 42 does not apply for eviction from house."

निम्न न्यायालय में दिनांक–02.08.2004 को पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत नही होता है अतः उसे निरस्त किया जाता है। आपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

26.7.2023

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

26.7.2023

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.10.04 12:21:53 +05:30
Location: 192.168.1.6